

श्रीमान जी, गाम-सापड़ा के पटवारी रिपोर्ट के अनुसार खाता सं. 336/369 में अंतिम नामांक 800 रहननामा स्वीकृत दिनांक 25/05/2022 में स्वीकृती के समय से खाता सं. 336/369 में सभी प्रविष्टियों (इन्द्राज) अपना खाता जिले पर रिबत आ रहा है। गत जमाबंदी संवत् 2069-72 के आधार पर शुद्ध विमा जाना डीघट होगा।

क्रमांक: 17/09/25
पट-सापड़ा

भू अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट

श्रीमान जी, पटवारी रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेज के अनुसार शुद्ध किया जाकर उचित ही महीने 17/09/25 में JEILR सामग्री पर

तहसीलदार की रिपोर्ट

प.ट. की रिपोर्ट व भू. अ. लि. की जांच के आधार पर दुरुस्ती किर्में जाते की सीमाबंदी की जाती है।

शिविर प्रभारी

तहसीलदार (भू. अ.) नसीराबाद

2025
430

प्रभारी अधिकारी "ग्रामीण सेवा शिविर-2025"

क्रमांक/ 135

दिनांक:-23/9/25

आदेश

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अभिलेख में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया गया है एवं इस दुरुस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू.अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीराबाद की अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सापड़ा तहसील नसीराबाद की जमाबंदी संवत् 2069-72 के खाता संख्या 336/369 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	पूर्व इन्द्राज का विवरण			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा
	—	—	—	कालूराज पुत्र शिवराज वर्मा. शेष इन्द्राज पटवारी रिपोर्ट अनुसार		



क्रमांक:- 4902-903

दिनांक:- 23/9/25

प्रतिनिधि :- 1. तहसीलदार नसीराबाद को पालना
2. आदेश पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद, जिला अजमेर